सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-393/2022 दिनांक- 28-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

किसान को बंधक बनाकर कीमती जमीन बैनामा कराने तथा बंधक को छोड़ने के लिये 2 लाख रुपये की मांग करने वाले 03 प्रापर्टी डीलर गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादिनी सुभावती देवी पत्नी रमेश यादव ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 27.11.2022 को थाना सिधारी पर तहरीर दिया कि उसके पति रमेश यादव को विपक्षीगण 1- सन्तराज यादव पुत्र लालचन्द सा0 इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 2- सुनिल कुमार यादव पुत्र सुबाष यादव सा0 बरही थाना सिधारी आजमगढ़ 3- देवेन्द्र यादव पुत्र बालदीन यादव सा0 हेगापुर थाना सिधारी आजमगढ़ 4- आशीष यादव पुत्र राजेश यादव सा0 हेगापुर थाना सिधारी आजमगढ़ के द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर 7 विस्वा जमीन बिना कोई पैसा दिये बैनामा करा लिया गया है व पति को कही बंधक बनाकर छिपा दिया गया है और छोड़ने के नाम पर 02 लाख रुपये की माँग करने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 434/22 धारा 364ए0 भादवि के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 27.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण 1.सुनील कुमार यादव पुत्र सुबाष यादव सा0 बरही थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ , 2.देवेन्द्र यादव पुत्र बालदीन यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व 3.आशीष यादव पुत्र राजेश यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास ग्राम पल्हनी से समय 20.50 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी के समय अभियुक्त सुनिल कुमार यादव के पास से यूनियन बैंक के उसके खाते का चेक संख्या 02045521 मूल्य 02 लाख रुपये दिनांक 07.11.2022 तथा दिनांक 09.11.2022 को हुए बैनामे की छायाप्रति भी बरामद हुई है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछने पर गिरफ्तार अभियुक्त सुनील कुमार यादव, देवेन्द्र यादव व आशीष यादव ने बताया कि उनके सहयोगी संतराज यादव निवासी देवकली द्वारा ग्राम इब्राहिमपुर निवासी रमेश यादव पुत्र बालकरन यादव को अपने घर पर रखकर उसकी 7 बिस्वा जमीन स्थित ग्राम इब्राहिमपुर का बैनामा डरा धमकाकर दिनांक 09.11.2022 को बिना कोई रुपया दिये रमेश यादव से सुनील कुमार यादव के पक्ष में करा दिया सहयोग हेतु संतराज यादव ने 3 लाख रुपये व एक अन्य सहयोगी ने 2 लाख रूपये लिए तथा अपहृत रमेश यादव को 2 लाख रुपये का चेक दिखाकर उसे नही दिया गया। इसके बाद भी रमेश यादव को छोड़ा नही गया बल्कि उसका अपहरण कर अपने ग्राम मड़हिया में रखा गया तथा वादिनी मुकदमा श्रीमती सुभावती से उसे छोड़ने हेतु 2 लाख रुपये की मांग की गयी।

➡ पूछने पर सुनील कुमार यादव ने बताया कि इसके पूर्व भी उसने अपने गिरोह के उपरोक्त सदस्यों के साथ साथ कुछ अन्य सदस्यों मिलकर साजिश कर कई अन्य गरीब व्यक्तियों से भी इस प्रकार का बैनामा कराया गया है।

➡यह भी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ सफेदपोश व्यक्ति जिनके द्वारा मुख्य अभियुक्त के पक्ष में पैरवी करना एवं इस गिरोह को संरक्षण देना संज्ञान में आया है। इस सम्बन्ध में विवेचना गहनता से करने हेतु निर्देशित किया गया है।

➡उपरोक्त बैनामे में अभियुक्त देवेन्द्र यादव व आशीष यादव गवाह है।

➡पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने यह भी बताया कि जिस जमीन का बैनामा 2 लाख में कराया गया है उस जमीन की वर्तमान मार्केट वैल्यू लगभग 40-50 लाख रूपये है। इनकी योजना थी कि जमीन को सस्ते मुल्य पर खरीदकर प्लाटिंग करके महंगे दामों पर बेचा जाएगा।

➡ इस गैंग के सभी सदस्यो को भू-माफिया चिन्हित कर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 434/22 धारा 364ए0 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 434/22 धारा 364ए0 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार नाम पता अभियुक्त

1.सुनील कुमार यादव पुत्र सुबाष यादव सा0 बरही थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

2.देवेन्द्र यादव पुत्र बालदीन यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

3.आशीष यादव पुत्र राजेश यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी-:

1.अपहृत रमेश यादव

2.चेक सं. 02045521 यूनियन बैंक 2 लाख रुपये

3. मोबाइल फोन

4. बैनामा स्टाम पेपर की छायाप्रति

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.नन्द कुमार तिवारी प्र.नि. थाना सिधारी आजमगढ़

2.व.उ.नि. संजय कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

3.का0 महेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

3.का0 सुरेन्द्र कुमार यादव थाना सिधारी आजमगढ़

4. का0 चालक दिवान चन्द्र थाना सिधारी जनपद आजमगढ़